5. नागरिकता

नागरिकता का अर्थ एवं महत्व

किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। दूसरी ओर, विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं एवं अधिकार प्रदान करता है। विदेशियों को नहीं :

- धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर (अनुच्छेद 15) भेदभाव के खिलाफ अधिकार।
- सार्वजनिक रोजगार के मामले में (अनुच्छेद 16) समान अवसरों का अधिकार।
- बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संगठन, आंदोलन, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)।
- सार्वजनिक पदों जैसे- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार।
- लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार।

भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान में नागरिकता के बारे में भाग-II के तहत अनुच्छेद 5 से 11 में चर्चा की गई है। इस संबंध में स्थायी और विस्तृत व्यवस्था नहीं की गई, यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के बाद भारत के नागरिक बने।

संविधान के अनुसार चार श्रेणियों के लोग संविधान निर्माण के उपरांत (26 जनवरी, 1950) भारत के नागरिक बन सकते हैं-

- एक व्यक्ति जो 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है।
- एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं- यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के पांच साल पूर्व से भारत में रह रहा हों।
- एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो-भारत का नागरिक बन सकता है-19 जुलाई, 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने में छह माह तक भारत निवास आवश्यक है।
- एक व्यक्ति जिसके माता-पिता या पितामह भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो।

नागरिकता का अधिग्रहण

नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की पांच शर्तें बताता है- जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र में समाविष्टि पर।

- **जन्म से:** जैसा कि 1986 में अधिनियम को संशोधित किया गया, इसके तहत कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है-
  - यदि उसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 30 जून, 1987 से पूर्व हुआ हो।
  - यदि वह भारत में 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद हुआ है लेकिन उस समय उसके माता-पिता भारत के नागरिक हों।
- **वंश के आधार पर:** 1992 में संशोधित यह अधिनियम बताता है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, जब उसके माता-पिता भारतीय नागरिक हों।
- **पंजीकरण द्वारा:** निम्नलिखित लोगों की श्रेणी (यदि पहले से भारत के नागरिक न हों) संबंधित प्राधिकरण में भारतीय नागरिक बनने के लिए प्रार्थनापत्र दे सकते हैं-
  - भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत के बाहर अन्यत्र रह रहा हो।

- वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थनापत्र देने से पूर्व पांच वर्ष से भारत में रह रहा हो।
- भारतीय मूल का व्यक्ति, जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व पांच वर्ष भारत में रह चुका हो।
- वे लोग जो राष्ट्रकुल देशों के नागरिक हों।
- भारत के नागरिक के नाबालिक बच्चे।

नागरिकता की समाप्ति

नागरिकता खोने के तीन करण बताए गए हैं- त्यागना, बर्खास्तगी, उपदस्य होना।

- **स्वैच्छिक त्याग:** एक भारतीय नागरिक जो अन्य देश का भी नागरिक है, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है।
- **बर्खास्तगी के द्वारा:** यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किस अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी।
- **अपदस्थता द्वारा:** केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा :
  - यदि नागरिकता को फर्जीवाड़े से ग्रहण कर लिया गया हो।
  - यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो।
  - यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे सूचना दी हो।
  - नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।
- **प्राकृतिक रूप से :** कोई विदेशी प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिक बन सकता है यदि-
  - उसने अन्य देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो।
  - ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते।
  - प्राकृतिक नागरिकता के बाद वह भारत में रहने एवं सरकार के तहत सेवा को उत्सुक हो।
  - वह चरित्रवान हो।
  - वह संविधान द्वारा संस्तुत भाषा का पर्याप्त ज्ञाता हो।
- **क्षेत्र समाविष्टि द्वारा:** किसी विदेशी क्षेत्र का भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है।

राष्ट्रकुल नागरिकता

नागरिकता अधिनियम 1955, राष्ट्रकुल नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकारता है। किसी भी राष्ट्रकुल देश के नागरिक को भारत के राष्ट्रकुल नागरिक की स्थिति प्राप्त होगी।